कार्यालय परिपत्र सं०- 2021003 दिनांक 22-05-2020

पत्र संख्या/25/ज्वाइण्ट कमिश्नर(जी0एस0टी0)/कोविड–19–वैट लिमिटेशन/ वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,
(जी0एस0टी0 अनुभाग),
लखनऊ:: दिनाँक::22 मई, 2020

एडीशनल कमिश्नर(विधि)/जी0एस0टी0 अनुभाग,
समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1,
समस्त एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–2, (वि0अनु0शा0/अपील),
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0/कारपोरेट सर्किल / टैक्स आडिट),
समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0/राज्य प्रतिनिधि/वि0अनु0शा0/टैक्स आडिट),
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर (क0नि0/राज्य प्रतिनिधि/वि0अनु0शा0/टैक्स आडिट),
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

विषयः– कोविड–19 जनित परिस्थितियों में यू0पी0 वैट अधिनियम की धारा–29 की विभिन्न उप धाराओं में कर निर्धारण/पुनः कर निर्धारण हेतु निर्धारित समय–सीमा बढ़ाये जाने के संबंध में शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–469/XI-2-20-9(46)/20-U.P. Act-5-2008-Order-(120)-2020 दिनांक 13 मई, 2020 के संबंध में।

कोविड–19 जनित असामान्य परिस्थितियों के दृष्टिगत शासन द्वारा अधिसूचना संख्या–469/XI-2-20-9(46)/20-U.P. Act-5-2008-Order-(120)-2020 दिनांक 13 मई, 2020 प्रभावी दिनांक 27 मार्च, 2020 (प्रति संलग्न) जारी करते हुए यू0पी0 वैट अधिनियम की धारा–19 की विभिन्न उप धाराओं में अंकित सभी श्रेणी के कर निर्धारण एवं पुनः कर निर्धारण की समय–सीमा, को दिनांक 31 अक्टूबर, 2020 तक विस्तारित किया गया है।

यद्यपि लॉकडाउन के पश्चात लगभग सभी लोकेशन्स पर विभागीय कार्यालय पूर्ववत् खोले जा रहे हैं तथापि सभी के स्वास्थ्य एवं कोविड–19 के संक्रमण के दृष्टिगत लम्बे समय तक सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियों को दीर्घकालिक रूप में विभागीय कार्यप्रणाली में शामिल किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में विस्तृत निर्देश मुख्यालय के परिपत्र संख्या–कमिश्नर कैंम्प/2020–21/04/वाणिज्य कर दिनांक 22 अप्रैल, 2020 से जारी किए गए हैं।

उक्त समस्त तथ्यों के दृष्टिगत यू0पी0 वैट अधिनियम के अंतर्गत लम्बित ऐसे कर निर्धारण/पुनः कर निर्धारण वादों, जिनका निस्तारण कोविड–19 जनित परिस्थितियों में दिनांक 31 मार्च, 2020 तक की निर्धारित समय–सीमा में सम्भव नहीं हो पाया है, का निस्तारण शासन द्वारा विस्तारित अवधि में किए जाने हेतु निम्न निर्देश दिये जाते हैं–

1. प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निस्तारण हेतु लम्बित मामलों की सूची तैयार कर अपने पास रखी जाएगी तथा लम्बित वादों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। प्रत्येक कर

Scanned by CamScanner

निर्धारण अधिकारी द्वारा विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत लम्बित वादों की सूची अनिवार्य रूप से अपने नियंत्रक ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक/वि0अनु0शा0) तथा एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2(वि0अनु0शा0) /जोनल एडीशनल कमिश्नर को ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी। प्रत्येक जोन के जोनल एडीशनल कमिश्नर द्वारा ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक/वि0अनु0शा0), एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2(वि0अनु0शा0), स्थानीय बार एसोशिएसन, स्थानीय औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से विचार–विमर्श करके सभी लोकेशन्स पर लम्बित वादों का चरणबद्ध निस्तारण किए जाने के संबंध में सोशल डिस्टेंसिंग आदि अपेक्षित सावधानियों के आलोक में सुव्यवस्थित कार्ययोजना तैयार की जाएगी। जोनल स्तर पर प्रत्येक लोकशन के लिए तैयार की गयी कार्ययोजना का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक जोन में तैयार की गयी समेकित कार्ययोजना विधि अनुभाग, मुख्यालय को ई–मेल के माध्यम से दिनांक 31 मई, 2020 तक ई–मेल आई0डी0– vidhianubhag001@gmail.com पर उपलब्ध करायी जाएगी।

2. निस्तारण हेतु कुछ ऐसे मामले लम्बित होना संभावित हैं, जिनमें लॉकडाउन से पूर्व सुनवाई पूर्ण हो चुकी थी, केवल आदेश की ऑनलाईन अपलोडिंग अवशेष थी। कुछ कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा इस संबंध में यह जिज्ञासा व्यक्त की गयी है कि, चूँकि ऐसे मामलों में सुनवाई पूर्ण हुए 15 दिन से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, अतः ऐसे मामलों में पुनः एक नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता होगी। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस श्रेणी के मामलों में पुनः नोटिस जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे मामलों में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश ऑनलाईन अपलोड/वेरीफाई किए जा सकेंगे।

3. प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी अपने समक्ष लम्बित मामलों का परीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की आवश्यकता है, उनमें सभी तथ्य यथासम्भव एक ही कारण बताओ नोटिस में शामिल कर लिए जाएं, जिससे बार–बार पूरक कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की आवश्यकता न पड़े। प्रत्येक नोटिस में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपनी ई–मेल आई0डी0 अवश्य अंकित की जाएगी। जारी नोटिस के माध्यम से करदाता को यह भी सूचित किया जाएगा कि नोटिस का स्पष्टीकरण विभाग के अभिलेख में उपलब्ध करदाता की मेल आई0डी0 से प्रेषित किया जा सकता है। विभाग के अभिलेखों में उपलब्ध करदाता की ई–मेल आई0डी0 से प्राप्त स्पष्टीकरण को संज्ञान में लिया जाएगा।

4. जिन मामलों में सुनवाई हो चुकी है, लेखा–पुस्तकें कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा चुकी हैं, किन्तु कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार कतिपय बिन्दुओं पर करदाताओं से उनका पक्ष प्राप्त किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है, ऐसे मामलों में नोटिस ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किए जायेंगे तथा इस श्रेणी के मामलों में जारी किए जाने वाले कारण बताओ नोटिस में यह तथ्य अवश्य अंकित किया जाएगा कि, इस श्रेणी के मामलों में करदाता अथवा उनके प्रतिनिधि को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है, केवल ई–मेल के माध्यम से वांछित बिन्दुओं पर करदाता का पक्ष/स्पष्टीकरण प्रेषित किया जाना पर्याप्त है।

Scanned by CamScanner

5. कर निर्धारण अधिकारी के स्व विवेक के अनुसार जिन मामलों में करदाता अथवा उनके प्रतिनिधि की सुनवाई हेतु व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य हो अथवा जिन मामलों में करदाता की ओर से व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध किया गया हो, इस श्रेणी के मामलों में सुनवाई तिथियॉ नियत करते समय यह ध्यान रखा जाए कि एक ही समय में एक साथ एक से अधिक वाद की सुनवाई नियत न की जाए। यथासम्भव यह सुनिश्चित किया जाए कि सुनवाई हेतु नियत तिथियों एवं नियत समय पर कर निर्धारण अधिकारी अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित रहें, यदि अपरिहार्य कारणों से कर निर्धारण अधिकारी की उपस्थिति वादों की सुनवाई हेतु नियत तिथि/समय पर संभव न हो तो, सुनवाई हेतु आगामी तिथि निर्धारित करते हुए इसकी पूर्व सूचना संबंधित करदाता/उनके प्रतिनिधि को ई–मेल/एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जाए। प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी वादों की सुनवाई नियत करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि, किसी करदाता/उनके प्रतिनिधि को अनावश्यक रूप से बार–बार कार्यालय न बुलाया जाए।

6. प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में मुख्यालय के परिपत्र संख्या– कमिश्नर कैम्प/2020–21/04/वाणिज्य कर दिनांक 22 अप्रैल, 2020 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप साफ–सफाई, सोशल डिस्टेंशिंग आदि व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

कृपया तदनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग, साफ–सफाई आदि सावधानियों का ध्यान रखते हुए प्रत्येक लोकेशन के लिए जोनल स्तर पर तैयार की गयी कार्य योजना के अनुरूप लम्बित वादों का निस्तारण विस्तारित अवधि में चरणबद्ध ढंग से कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(अमृता सोनी),
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या/एवं दिनॉक उक्त ।

प्रतिलिपि– निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन ।
2. एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ ।
3. ज्वाइंट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ ।

(संजय कुमार पाठक),
ज्वाइंट कमिश्नर (जी0एस0टी0),
वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ ।

Scanned by CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-469/ग्यारह-2-20-9(46)/20-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(120)-2020

लखनऊः दिनांकः 13 मई, 2020

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार की यह राय है कि राज्य में कर निर्धारण वर्ष 2019-20 में कोविड-19 के कारण असामान्य परिस्थितियाँ व्याप्त हैं, इसलिए धारा 29 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन आने वाली समस्त श्रेणियों के कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण संबंधी कार्यवाहियों, जिनका, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) के अधीन निस्तारण किये जाने का अन्तिम दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो गया है, को पूरा करना कठिन होगा;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (11) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या-403/ग्यारह-2-9(18)/2012-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश(98)-2020 दिनांकः 27 मार्च, 2020 को अधिक्रमित करती हैं और धारा 29 की विभिन्न उपधाराओं के अधीन आने वाली समस्त श्रेणियों के कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण संबंधी कार्यवाहियों, जिनका उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) के अधीन निस्तारण किये जाने का अन्तिम दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो गया है, के लिये दिनांकः 31 अक्टूबर, 2020 तक समय सीमा में वृद्धि करती हैं।

2. यह अधिसूचना तारीख 27 मार्च 2020 से प्रवृत हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(आलोक सिन्हा)

अपर मुख्य सचिव।

Scanned by CamScanner

Uttar Pradesh Shasan
Rajya Kar Anubhag-2

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no.-469/XI-2-20-9(46)/20-U.P. Act-5-2008-Order-(120)-2020 dated May 13, 2020 for general information:.

NOTIFICATION

No.-469/XI-2-20-9(46)/20-U.P. Act-5-2008-Order-(120)-2020
Lucknow: Dated: May 13, 2020

WHEREAS the State Government is of the opinion that unusual circumstances due to COVID-19 are prevailing in the State; in the assessment year 2019-20, it would be difficult to complete all the categories of assessment or re-assessment proceedings falling under the various sub-sections of section 29 whose last date of disposal under the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 (Uttar Pradesh Act No. 5, 2008) has expired on 31 March, 2020;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section(11) of section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to supersede the notification no 403/XI-2-9(18)/2012-U.P. Act-5-2008-Order-(98)-2020 dated March 27, 2020 issued earlier in this regard and to extend the time limit upto 31st October, 2020 for all categories of assessment or re-assessment proceedings falling under the various sub-sections of section 29 whose last date of disposal under the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 (U.P. Act No. 5 of 2008) has expired on 31 March 2020.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 27 March, 2020.

By Order,

(Alok Sinha)
Apar Mukhya Sachiv

Scanned by CamScanner